<u>न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–68/2018</u>

<u>CIS NO-TS-119/2019</u>

शेख सफिउल्लाह.....वादी

बनाम

केदार प्रसाद.....प्रतिवादी

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
20.03.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। हस्तक्षेपक आवेदक की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 13.09.2023 अंतर्गत आदेश 01 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि हस्तक्षेपक को केवल प्रस्तुत वाद के वादग्रस्त भूमि के खाता–12 खेसरा–831 से सरोकार है, जो मौजा रायबरवा थाना साठी में अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि सर्वेहाल खतियान में बकास्त साठी कोठी करके दर्ज है तथा खेसरा–831 में कुल खतियानी रकबा 13 कट्ठा 07 धुर है। बेतिया राज की महारानी जानकी कुँवर के दूर के रिस्तेदार राम प्रसाद नारायण साही थे। रामप्रसाद नारायण साही एवे महेश प्रसाद सिंह एवं विन्देश्वरी प्रसाद नारायण साही द्वारा निबंधित बयनामा दस्तावेज सं0–3988 दिनांक 16.04.1963 द्वारा मौजा हिच्छोपाल एवं मौजा रायबरवा स्थित 14 बिगहा 04 कट्ठा 19 धुर भूमि प्रमोद प्रसाद को बिक्री कर दखल कब्जा सौंप दिया। इस बयनामा में मौजा रायबरवा खाता–12 खेसरा–831 रकबा 13 कट्ठा 07 धुर भूमि भी शामिल है। लौरिया अंचल में मौजा रायबरवा स्थित प्रश्नगत खेसरा–831 सहित अन्य खेसराओं की भूमि की जमाबंदी 542 प्रमोद प्रसाद के नाम कायम है। प्रमोद प्रसाद द्वारा अपने सेवक उधो सिंह के सेवा टहल से खुश होकर कुछ भूमि उन्हें बक्खशीश करने की इच्छा जाहिर की, जिसे उधों सिंह द्वारा लेना स्वीकार किया गया तथा प्रमोद प्रसाद द्वारा निबंधित बक्ख्शीशनामा दस्तावेज 4785 दिनांक 08.03.2019 द्वारा कुल 07 बिगहा 02 कट्ठा 17 धुर भूमि उधो सिंह को बक्ख्शीश कर दिया गया तथा दखल कब्जा दे दिया गया। उधो सिंह द्वारा निबंधित बक्ख्शीशनामा दस्तावेज द्वारा हासिल भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम नहीं कराया गया तथा अपनी आवश्यकता वश निबंधित बयनामा दस्तावेज 13380 दिनांक 14.10.20 द्वारा हस्तक्षेप गौरी शंकर साह से तय जरसमन प्राप्त कर मौजा रायबरवा थाना साठी स्थित खाता–12 खेसरा–831 की कुल 13 कट्ठा 07 धुर भूमि गौरीशंकर साह के नाम तहरीर एवं तामिल कर दिया गया तथा दखल कब्जा सौपा दिया गया। हस्तक्षेपक प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। वादी एवं प्रतिवादी आपस में मेली है तथा जानबुझकर हस्तक्षेपक को पक्षकार नहीं बनाये है। हस्तक्षेपक द्वारा उपरोक्त वर्णित दस्तावेज की छायाप्रति आवेदन के साथ दाखिल कर रहे है एवं हस्तक्षेपक का यह भी कथन है कि माननीय सर्वोच्च	

<u>न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–68/2018</u>

<u>CIS NO-TS-119/2019</u>

शेख सफिउल्लाह.....वादी

बनाम

केदार प्रसाद.....प्रतिवादी

लगातार 20.03.2025	न्यायालय द्वारा Sathi Land Restoration act 1950 को Civil Appeal 59/1952 में निरस्त कर दिया गया एवं माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेश AIR 1953 SC 215 के आलोक में रामप्रसाद नारायण साही के जमीन को यथावत रखने का आदेश दिया गया था। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि हस्तक्षेपक को वाद में प्रतिवादी बनाने की कृपा की जाय। प्रतिवादी की ओर से हस्तक्षेपक आवेदक के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 22.11.2023 को दाखिल किया गया तथा प्रत्युत्तर में कहा गया कि हस्तक्षेपक आवेदक द्वारा पक्षकार बनाने हेतु दाखिल आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से परिपालनीय नही है बल्कि खारिज होने योग्य है। गौरीशंकर साह का कोई हित वादग्रस्त भूमि में सन्निहीत नहीं है। ऐसा लगता है कि उधो सिंह एवं आवेदक गौरीशंकर साह वादी के मेली आदमी है तथा वाद के निष्पादन में अनावश्यक विलंब करने के उद्देश्य से उपरोक्त फर्जी बक्ख्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 07.03.2019/08.03.2019 एवं आवेदक का बयनामा दिनांक 14.10.2020 वाद के दौरान खडा किया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। वादी की ओर से हस्तक्षेपक आवेदक के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 25.09.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदक का आवेदन कानून की दृष्टिकोण से परिपालनीय नही है तथा आवेदन खारिज होने योग्य है। आवेदक द्वारा आवेदन में यह गलत कहा गया है कि पहले वादग्रस्त भूमि बेतिया राज द्वारा वर्ष 1946 में राम प्रसाद नारायण साही एवं उनके भाई के नाम पर बंदोबस्त की गई थी। वादग्रस्त भूमि वादी के पिता शेख आशिक के नाम पर वर्ष 1919 में बंदोबस्त किया गया था तथा उनके मृत्यु के बाद विरासत के माध्यम से वादी के दखल कब्जें में आ रहा है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वाद द्वारा वादपत्र के मद सं0–02 वाली भूमि पर वादी के स्वत्व एवं अधिकार की घोषणा के साथ अन्य अनुतोषों हेतु लाया गया है। हस्तक्षेपक आवेदक द्वारा वाद से संबंधित कागज दाखिल किया गया है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन **"Mumbai International airpot PVT. Ltd. V/s Regency Convention center & hotel & ors AIR 2010 SCC 4222."** के आलोक में आवश्यक पक्षकार उन्हें कहा गया है जिनके अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा उचित डिक्री पारित करना न्याय संगत नही होता	

<u>न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–68/2018</u>

<u>CIS NO-TS-119/2019</u>

शेख सफिउल्लाह.....वादी

बनाम

केदार प्रसाद.....प्रतिवादी

लगातार 20.03.2025	है एवं यह भी कहा गया है कि यदि आवश्यक पक्षकार को वाद में पक्षकार के रूप में नही जोडा जाता है तो वाद स्वतः खारिज होने योग्य होगा एवं माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेश In case of **Vidur Impex Traders (P) Ltd. Vs Tosh of Apartment (P) Ltd., (2012) 8 SCC 384** में कहा गया कि वादी के विचार के विपरीत में भी वाद में हस्तक्षेपक को पक्षकार बनाया जा सकत है। अगर हस्तक्षेपक का वादग्रस्त भूमि में कानूनी या सीधा अभिरूचि हो, इसी प्रकार In case of **Sumtibai Vs Parash Finance Corporation. Regd. Partnership from Firm Beawar (UP) Reported in (2007) 10 SCC 82**, The Hon'ble Apex Court held that party have been semblance of interest in the suit property could be Impleaded as a intervenor in the suit and also in case of **Razia Begum Vs Saheb Zadi Anwar Begum, AIR 1958, SC, 886** The Hon'ble Supreme Court has held that in a suit relating to property in order that a third party may be impleaded, he should have a direct or legal interest in the subject matter of the litigation as distinguished from a commercial interest, legal interest so interpreted means that the result of the suit would affect the third party illegally. अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं पस्थितियों के आलोक में, वाद के उचित न्याय निर्णयन के मद्देनजर हस्तक्षेपक आवेदक प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार होना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में हस्तक्षेपक आवेदक का आवेदन दिनांक 13.09.2023 स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि हस्तक्षेपक आवेदक को प्रतिवादी कॉलम में कमानुसार पक्षकार बनावें। दिनांक 29.04.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	